172

न्यायालय राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर केम्प उज्जैन म0प्र0

प्र0क्र0 /2014 निगरानी R-3394-I/14

1-विनय पिता ब्रजवल्लभ तिवारी आयु 55 वर्ष
निवासी 21/5 लक्ष्मीबाई मार्ग फव्वारा चौक उज्जैन
2- काईद जौहर पिता कमरूद्दीन आयु वर्ष
निवासी कमरी मार्ग उज्जैन ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- बसन्तीलाल पिता सेवराम
2- कंचनबाई पत्नि बाबूलाल
3- प्रहलाद पिता बाबूलाल
निवासीगण ग्राम केमुनी तह0 उज्जैन ---अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 भूराजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदकगण अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय उज्जैन जिला उज्जैन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-8-2014 प्रकरण क्र0 33/अपील /2009-10 में पारित आदेश से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निम्न कारणो से निगरानी अन्दर अवधी में प्रस्तुत करता है ।

प्रकरण का विवरण

प्रकरण का संक्षेप में ... है कि अनावेदकगण द्वारा उनके स्वामित्व ... कृषि भूमि ग्राम केमुनी तहसील उज्जैन स्थित सर्वे क्रमांक 241,244,259,260,पर जा... के लिये रूढिगत मार्ग सर्वे क्र0 254, 255,256,264 के ... से शासकीय रास्ता ... जहां से अनावेदकगण कृषि कार्य करते चले आ रहे है तथा सर्वे क्र0 256 आवेदकगण की निजी भूमि है । एवं शासकीय ... पटवारी रिकार्ड में कही भी रास्ते का उल्लेख नही है ।

यह कि विचारण न्यायालय द्वारा स्थानीय नायब तहसीलदार महोदय, ...

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3394-एक/14 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कमल सिंह आंजना उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27.3.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	